

प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 28 अक्टूबर, 2015

विषय:- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन मद) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केन्द्रांश की धनराशि 12.75 करोड़ एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि ₹0 4.25 करोड़ कुल धनराशि ₹0 17.00 करोड़ (₹0 सत्रह करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान संख्या-13 में केन्द्रांश/राज्यांश के रूप में ₹0 103.26 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन दी जा रही है कि धनराशि का आहरण दो किश्तों में आहरित की जायेगी तथा भारत सरकार से शीघ्रातिशीघ्र धनराशि प्राप्त कर केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

4- उक्त धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश एवं राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास को दी जायेगी।

6- केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2016 को समर्पित कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (क.75/रा.25-के.+ रा.)-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

संख्या-17/2015/डी-432(1)/38-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
- 6- ग्राम्य विकास अनु0-3
- 7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।